दूरभाष – 0522- 4026512
ई0मेल- nfo@commissionerdisabilitiesup.in

न्यायालय, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उ0प्र0

(दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 के अधीन)

निकट जे0बी0टी0सी0 कम्पाउण्ड, (विद्या भवन कैम्पस) निशातगंज ,लखनऊ-226007

पत्रांक -119-13/ रा0आ0दि0ज0 / स्वतः स्फूर्त परिवाद-184/2021 / 2021-22 / लखनऊ, दिनांक - 02 फरवरी, 2022

परिवाद संख्या- 184/2021

प्रकरण में,

स्वतः स्फूर्त (Suo-Moto)

बनाम्

1- अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, बेसिक शिक्षा विभाग।
2- अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
3- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण विभाग।
4- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।
6- निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0।
7- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग उ0प्र0।
8- निदेशक, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0।
9- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उ0प्र0।
10- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0।
11- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उ0प्र0।

-प्रतिवादी

आदेश

1- मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) संख्या – 132 / 2016 रजनीश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम् यूनियन आफ इण्डिया व अन्य तथा सम्बद्ध रिट याचिका (सिविल) संख्या – 876 / 2017 कृष्ण गोपाल व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28-10-2021 के अन्तर्गत देश के सभी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम – 2016 की धारा – 79 के अन्तर्गत नियुक्त राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन को निर्देशित किया गया है कि वे प्रश्नगत याचिका में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रकरण को स्वतः स्फूर्त (Suo-Moto) संज्ञान में लेते हुए परिपृच्छाएं (Inquiries) करते हुए यथावश्यक प्रकरण से सम्बन्धित राज्य के समुचित प्राधिकारियों (Appropriate Authorities) के लिए अनुसंशाएं करें ताकि वे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम – 2016 की धारा – 81 के प्रावधानानुसार की गई संस्तुतियों की अनुपालन

आख्या निर्धारित समय के अन्दर राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन के समक्ष प्रस्तुत करें तथा तदोपरान्त राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन अपने राज्य की अनुपालन / गैर अनुपालन सम्बन्धी रिपोर्ट फरवरी, 2022 के अन्त तक मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करें।

2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) संख्या 132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य तथा सम्बद्ध रिट याचिका (सिविल) संख्या 876/2017 कृष्ण गोपाल व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 के कार्यात्मक अंश(Operative Part) निम्नवत् हैं-

In view of the above, a multipronged approach needs to be adopted by the concerned Authorities with immediate effect, inter alia, as follows:

A. *The Central Government must forthwith notify the norms and standards of pupil-teacher ratio for special schools and also separate norms for special teachers who alone can impart education and training to CwSN in the general schools; and until such time, as a stopgap arrangement adopt the recommendations made by the State Commissioner, NCT of Delhi in the case of* ***Ms. ReshmA PArveen*** *reproduced in paragraph 51 above;*

B. *To create commensurate permanent posts as per the just ratio to be specified by the competent authority for the rehabilitation professionals / special teachers who can cater to the needs of CwSN;*

C. *To initiate appointment process to fill-in vacancies for the posts so created for rehabilitation professionals/special teachers for being appointed on regular basis. The same shall be completed within six months from the date of this order or before the commencement of academic year 2022- 2023, whichever is earlier;*

D. *To overcome the shortage of resource persons (rehabilitation professionals/special trained teachers), the training schools/institutions must take steps to augment the number whilst ensuring that the norms and standards specified under the governing laws and regulations including that of the Council for grant of recognition and registration are fulfilled;*

उत्तर प्रदेश सरकार ★ न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ★

E. *Until sufficient number of special teachers becomes available for general schools and special Schools , the services of special trained teachers can be availed as itinerant teachers as per the*

SSS within the school block (cluster schools) to optimize the resource persons and as a stopgap arrangement;

F. *The other teachers and staff in the general schools be given compulsory training and sensitized to handle the CwSN in the general schools, if admitted; and*

G. *The authorities may also explore the possibility of merging unviable special schools with relatively viable special schools in the neighbor urhood, so as to entail in consolidation of assets and resources for better delivery to the requirements of CwSN.*

3- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों के राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन को दिए गए निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित प्रकरण को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-80(ख) के अंतर्गत स्वतः स्फूर्त (suo-moto) परिवाद संख्या 184/2021 (स्वतः स्फूर्त बनाम् अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन बेसिक शिक्षा विभाग व अन्य) संस्थित करते हुए सम्बन्धित प्रतिवादी गण को नोटिस दिनांक 03-11-2021 एवं दिनांक 17-11-2021 (कुल 11 प्रतिवादीगण) को जारी की गयी जिसके अंतर्गत प्रतिवादी गण को प्रत्युत्तर / लिखित कथन दाखिल करने के लिए क्रमशः दिनांक 30-11-2021 एवं दिनांक 03-12-2021 तक का समय प्रदान किया गया किन्तु निर्धारित समयावधि के व्यतीत होने के उपरांत किसी प्रतिवादी द्वारा अपना लिखित कथन / प्रत्युत्तर इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया।

4- तदक्रम में निर्धारित प्रक्रियानुसार परिवाद के शीघ्र निस्तारण हेतु परिवाद से सम्बन्धित पक्षों की उपस्थिति / सुनवायी / लिखित कथन दाखिल किए जाने हेतु सम्मन जारी करते हुए दिनांक 30-12-2021, दिनांक 12-01-2022 एवं दिनांक 28-01-2022 की तिथियां निर्धारित की गई।

5- **उपर्युक्त निर्धारित तिथियों पर प्रतिवादी संख्या – 1 अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, बेसिक शिक्षा विभाग, प्रतिवादी संख्या – 6 निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 तथा प्रतिवादी संख्या – 11 महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0** की ओर से क्रमशः श्री सत्य प्रकाश, अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, श्री अरूण कुमार, विधि अधिकारी, निदेशालय बेसिक शिक्षा एवं श्री राकेश चन्द्र पाण्डेय, वरिष्ठ विशेषज्ञ, समग्र शिक्षा उपस्थित हुए एवं अपने लिखित कथन दिनांक 13-12-2021 एवं 29-12-2021 प्रस्तुत किये गये जिसके अंतर्गत उल्लिखित किया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार के प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को जिनमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी सम्मिलित हैं, को स्कूली शिक्षा दी जाती है। उत्तर प्रदेश के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, सर्व शिक्षा अभियान (वर्तमान में समग्र शिक्षा) के अन्तर्गत विशेष शिक्षक (इंटीनरेण्ट टीचर्स तथा रिसोर्स टीचर्स) की नियुक्ति 11 माह के लिए संविदा के आधार पर समयवेशी परिवेश (इन्क्लूशिव सेटअप) में की जाती है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत दृष्टि दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग एवं बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए सम्बन्धित दिव्यांगताओं के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कुल 2115 विशेष शिक्षक मानदेय के आधार पर संविदा पर कार्यरत हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक – प्रशिक्षण एवं इण्डक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था है। विशेष शिक्षकों को न्याय पंचायत आवंटित करते हुए अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान किया जाता है तथा परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के

उत्तर प्रदेश सरकार
न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन

प्रधानाध्यापक / नोडल टीचर्स को दिव्यांगता के क्षेत्र में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही गतिमान है। समग्र शिक्षा के अन्तर्गत विशेष बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु 418 नए स्पेशल एजूकेटर्स के चयन की कार्यवाही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लिखित किया गया कि उनके विभाग के अधीन अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों (CwSN) के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है जोकि अद्यतन पूरी तरह से सम्पन्न नहीं हो पाया है अतएव मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का बिन्दुवार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्ययोजना बनाते हुए सुविचारित लिखित कथन दाखिल किये जाने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। तद्क्रम में उन्हें कार्ययोजना बनाते हुए सुविचारित लिखित कथन दाखिल किए जाने हेतु दिनांक 01-02-2022 का समय प्रदान किया गया जिसके क्रम में सचिव, उ0प्र0 शासन, बेसिक शिक्षा अनुभाग – 5 द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त लिखित कथन पत्र संख्या – 206 / 68-5-2022-33 / 2020 दिनांक 01-02-2022 में उल्लिखित किया गया है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए विद्यालय स्तर पर नोडल टीचर्स नामित किए गए हैं। तद्क्रम में वर्ष 2021-22 में इन सभी नोडल टीचर्स को दिव्यांग छात्र – छात्राओ को समावेशी शिक्षा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में इन सर्विस ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। वर्ष 2022-23 में दिव्यांग छात्र – छात्राओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु परिषदीय विद्यालय के नोडस टीचर्स को 03 माह (90 दिन) की इन सर्विस ट्रेनिंग ब्लेण्डेड मोड में प्रदान की जाएगी। इस हेतु समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022-23 में प्रस्ताव किया जाएगा तथा नामित नोडल टीचर्स को चरणबद्ध ढंग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण की रूप – रेखा एवं प्रशिक्षण सामग्री के विकास हेतु विषय विशेषज्ञो की एक समिति राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा के कार्यालय पत्र दिनांक 28-01-2022 द्वारा गठित की गई है। परिषदीय विद्यालयों में डी0एड0 स्पेशल, बी0एड0 स्पेशल अर्हताधारी शिक्षक पूर्व से ही कार्यरत हैं। ऐसे विशिष्ट प्रशिक्षण अर्हताधारी कार्यरत प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापकों को चिन्हित कर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ऐसे विशिष्ट प्रशिक्षण अर्हताधारी पूर्व से नियुक्त शिक्षकों का विवरण जनपदों से संकलित किया जा रहा है।

6- उपर्युक्त निर्धारित तिथियों पर **प्रतिवादी संख्या – 7 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ की ओर से श्री आर0के0 तिवारी, उप शिक्षा निदेशक-1** उपस्थित हुए एवं अपना लिखित कथन दिनांक 11.01.2022 एवं दिनांक 24-01-2022 प्रस्तुत करते हुए सारतः उल्लिखित किया गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में दिव्यांगजन छात्र – छात्राओं का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के माध्यम से सर्वे कराया गया जिसमें कुल 1644 छात्र एवं 1687 छात्राएँ हैं जिनका कुल योग 3331 है। प्रश्नगत याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में कुल बी0एड0 स्पेशल डिग्री धारकों के लिए 1 : 8 के अनुपात में अवधारित कुल 300 शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव पत्र दिनांक 17-12-2021 एवं दिनांक 10-01-2022 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है तथा आदेश के बिन्दु E के अनुपालन में क्लस्टर स्कूल के चिन्हांकन हेतु संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं जिसमें चिन्हांकन की कार्यवाही गतिमान है। शिक्षकों की संख्या तथा उपलब्ध माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यवाही की जा रही है।

7- उपर्युक्त निर्धारित तिथियों पर **प्रतिवादी संख्या – 3 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन समाज कल्याण विभाग की ओर से श्री अशोक कुमार यादव, अनु सचिव, उ0प्र0 शासन एवं प्रतिवादी संख्या – 8 निदेशक समाज कल्याण विभाग की ओर से श्री सुनील कुमार बिसेन, संयुक्त निदेशक,**

निदेशालय समाज कल्याण उपस्थित हुए एवं अपने लिखित कथन क्रमशः दिनांक 12.01.2022 एवं दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित किया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 94 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों (पूर्ववर्ती राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) में अध्ययनरत दिव्यांगजन छात्र / छात्राओं का प्रतिशत शून्य है। अतएव विशेष अध्यापकों की तैनाती एवं प्रशिक्षण का अवसर प्रतीत नहीं होता है।

8- उपर्युक्त निर्धारित तिथियों पर प्रतिवादी संख्या 04 एवं 09 (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) के ओर से श्री शेषनाथ पाण्डेय, संयुक्त निदेशक, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उपस्थित हुए एवं अपने प्रस्तुत लिखित कथन दिनांक 30.12.2021 एवं दिनांक 20-01-2022 में उल्लिखित किया कि प्रदेश के मदरसों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों की संख्या के सम्बन्ध में प्रदेश के 40 जनपदों के 558 मदरसों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भिन्न भिन्न दिव्यांगताओं के कुल 221 छात्र अध्ययनरत हैं। चूंकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मुख्यतः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में है जोकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्ष 2010 के पत्रानुसार मदरसों पर लागू नहीं है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-10-2021 के उपर्युक्त प्रभावी अंश के बिन्दु F में दिए गए निर्देशों के क्रम में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में मदरसों के शिक्षकों का आवश्यक प्रशिक्षण कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि मदरसों में किसी एक ही प्रकार के दिव्यांगता वाले छात्रों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि विशेष शिक्षक तैनात किए जाए अर्थात विशेष शिक्षा वाले छात्रों (CwSN) हेतु शिक्षक छात्र के मानक के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है।

9- **प्रतिवादी संख्या – 5 अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ एवं प्रतिवादी संख्या – 10 निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की ओर से क्रमशः श्री लाल बहादुर यादव, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन एवं श्री रोहित सिंह, संयुक्त निदेशक, निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग** उपस्थित हुए एवं अपने प्रस्तुत बिन्दुवार लिखित कथन दिनांक 30-12-2021 एवं दिनांक 13-01-2022 में उल्लिखित किया कि उनके विभाग द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पैरा – 57 में अन्तर्विहित रेशमा परवीन के परिवाद में आयुक्त, दिव्यांगजन, एन0सी0टी0 दिल्ली द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में निर्धारित मानक के अनुरूप विभाग के अधीन संचालित कुल 16 विशेष विद्यालयों में पूर्व से सृजित शिक्षक संवर्ग के पदों के सापेक्ष कुल 90 अतिरिक्त पदों का आंकलन किया गया है तथा 15 नवीन स्थापित निर्मित / निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक संवर्ग के कुल 153 अतिरिक्त पदों का आंकलन किया गया है तथा पदों के सृजन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त विभाग के अधीन पूर्व से संचालित विद्यालयों में सृजित पदों के सापेक्ष शिक्षक संवर्ग के रिक्त सीधी भर्ती के कुल 66 पदों पर भर्ती / चयन की कार्यवाही हेतु शासन से अनुरोध किया गया है जिसके क्रम में शासन द्वारा उक्त पदों पर भर्ती / चयन की कार्यवाही किए जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अध्यापक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 को प्रख्यापित किए जाने की कार्यवाही शीघ्रता से करते हुए शैक्षणिक पदों पर भर्ती कराए जाने का उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लिखित किया गया है कि सभी पूर्व से संचालित एवं नवीन

उत्तर प्रदेश सरकार ★ न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ★

स्थापित / निर्माणाधीन विद्यालय विभिन्न दिव्यांगताओं के छात्र – छात्राओं हेतु विशेष विद्यालय हैं जिनमें प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से ही शिक्षण कार्य कराया जाता है। कुल 16 विभागीय विशेष विद्यालयों में छात्र / छात्राओं की उपस्थिति सामान्य है।

अनुशंसायें

1- यह कि सम्बन्धित पक्षकार अपने विभागों के अन्तर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शिक्षक – छात्र अनुपात सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), दृष्टिबाधित (Visually Impairment) एवं श्रवणबाधित (Hearing Impairment) दिव्यांग बच्चों के लिए 1:8, बौद्धिक दिव्यांग (Intellectual Disability), ऑटिस्म (Autism Spectrum Disorder) एवं स्पेशिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी (Specific Learning Disability) से प्रभावित दिव्यांग बच्चों के लिए 1:5 एवं डेफ ब्लाइन्ड (Deaf Blind) एवं उपर्युक्त में से दो या दो से अधिक दिव्यांगताओं (Combination of two or more of the Seven Disabilities mentioned above) से प्रभावित दिव्यांग बच्चों के लिए 1:2 के अनुपात में विशेष शिक्षकों की नियमित नियुक्ति भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किए जाने की कार्यवाही मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-10-2021 के छः माह के अन्दर अथवा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के प्रारंभ होने के पूर्व, जो भी पहले हो, में कार्ययोजना बनाते हुए पूर्ण किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

2- यह कि प्रतिवादी संख्या – 5 अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं प्रतिवादी संख्या – 10 निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, प्रदेश में संचालित भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त शिक्षण – प्रशिक्षण संस्थानों को विशेष शिक्षकों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु प्रोत्साहित किए जाने की अनुशंसा की जाती है तथा विभाग द्वारा संचालित डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट का सुदृढ़ीकरण करते हुए शिक्षण – प्रशिक्षण संस्थानों को समयबद्ध मान्यता प्रदान किए जाने सम्बन्धी नियमों का यथावश्यक सरलीकरण की कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग के अन्तर्गत पूर्व से संचालित एवं नवीन स्थापित / निर्माणाधीन समेकित विशेष विद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अध्यापक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली – 2021 को शीघ्रातिशीघ्र प्रख्यापित कराते हुए भर्ती की कार्यवाही समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3- यह कि प्रतिवादी संख्या – 1 अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, बेसिक शिक्षा विभाग, प्रतिवादी संख्या – 2 अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्रतिवादी संख्या – 6 निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, प्रतिवादी संख्या – 7 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 एवं प्रतिवादी संख्या – 11 महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 अपने अधीन विद्यालयों में जब तक पर्याप्त संख्या में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक विद्यालयों का ब्लाक स्तर पर क्लस्टर बनाते हुए विभाग में उपलब्ध विशेष योग्यताधारी शिक्षकों की सेवाएँ समग्र शिक्षा योजना के मानकों के अनुरूप घुमन्तू शिक्षकों (Itinerant Teachers) की भांति लिए जाने की अनुशंसा की जाती है।

4- यह कि प्रतिवादी संख्या – 3 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण विभाग, प्रतिवादी संख्या – 4 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, प्रतिवादी संख्या – 8 निदेशक, समाज

कल्याण, उ0प्र0, प्रतिवादी संख्या – 9 निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 के अन्तर्गत संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों तथा मदरसों के लिए यथावश्यक जनपद स्तरीय क्लस्टर बनाते हुए कम से कम 02 विशेष शिक्षकों की नियमित नियुक्ति किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

5- यह कि प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के सामान्य शिक्षकों को समेकित शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार की दिव्यांगताओं से सुग्राही (Sensitize) बनाए जाने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से पंजीकृत रिसोर्स पर्सन द्वारा न्यूनतम 03 माह के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

6- यह कि प्रतिवादी संख्या – 11 महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 डी0एल0एड0 के पाठ्यक्रम में सभी प्रकार की दिव्यांगताओँ से आच्छादित विशेष शिक्षा हेतु एक विषय (***दिव्यांगताओं का परिचय***) सम्मिलित करते हुए सम्बन्धित छात्रों के अभ्यास शिक्षण / इन्टर्नशिप में दिव्यांग छात्रों को पढ़ाया जाना अनिवार्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

उपर्युक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय पर विचाराधीन प्रश्नगत रिट याचिका 132 /2016 रजनीश कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 को माह फरवरी, 2022 के अन्त तक पारित आदेशों का अनुपालन होने / अनुपालन न होने की रिपोर्ट दाखिल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, अतएव प्रतिवादी पक्षों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम – 2016 की धारा – 81 के अन्तर्गत निर्धारित समय प्रदान किये जाने का अवसर नहीं है। अतः एतद्द्वारा प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-10-2021 के पैरा – 57 के निर्देशों के क्रम में की गई उपर्युक्त संस्तुतियों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या / स्टेटस रिपोर्ट / कार्ययोजना सक्षम प्राधिकारी के स्तर से शपथपत्र पर दिनांक 14-02-2022 अपरान्ह 04.00 बजे तक स्थानः- कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, निकट राजकीय इण्टर कालेज, विद्या भवन के अन्दर, जे0बी0टी0सी0 कम्पाउण्ड, निशातगंज, लखनऊ – 226007 पर प्रत्येक दशा में दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की जाए कि वे परिवाद से सम्बन्धित पक्षकारों को उपर्युक्त आदेश / अनुशंसा की अनुपालन आख्या समयान्तर्गत प्रस्तुत किए जाने हेतु अपने स्तर से यथावश्यक निर्देश प्रदान करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है।

दिनांक – 02 फरवरी, 2022

स्थान - लखनऊ

(हेमन्त राव)
आई0ए0एस0
राज्य आयुक्त,
दिव्यांगजन, उ0प्र0

उत्तर प्रदेश सरकार
न्यायालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन